कार्यालय
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
बागेश्वर

संख्याः 2660-68/ए0एच0डब्ल्यू0सी0/योग अनुदेशक/2023–24 दिनांक – 18.11.2024

आदेश

शासनादेश संख्या 2696/XL–1–2023–41/2021 दिनांक–04–01–2023 एवं निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–10515–10517/जी–384/2022 दिनांक–10 जनवरी 2023 में निहित शर्तों/प्राविधानों एवं अध्यक्ष जिला आयुष मिशन सोसायटी बागेश्वर के अनुमोदनोपरान्त गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को योग अनुदेशक के पद पर दैनिक पारिश्रमिक रू0 (250 प्रति घंटा पुरूष अनुदेशक हेतु अधिकतम रू0 8000.00 प्रति माह) एवं महिला योग अनुदेशक हेतु (अधिकतम रू0 5000 प्रति माह) के आधार पर नितान्त अस्थायी रूप से अथवा योजना समाप्त होने अथवा धन की अनुपलब्धता अथवा 11 माह जो भी पूर्व में घटित हो, तक के लिए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उनके नाम के सम्मुख अंकित आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों में नियुक्त किया जाता है।

कमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	पदनाम योग अनुदेशक पुरूष/महिला	आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम
1	दिगम्बर सिंह	श्री धन सिंह	देवसारी/ग्वालदम चमोली	पुरूष योग अनुदेशक	पिंगलो
2	अजय सिंह	श्री महेश्वर सिंह	कांडे पोस्ट–स्यालडोबा,बागेश्वर	पुरूष योग अनुदेशक	दफौट
3	प्रीति फर्स्वाण	श्री इंद्र सिंह फर्स्वाण	ठाकुरद्वारा पिंडारी रोड बागेश्वर	महिला योग अनुदेशक	चौरा
4	भूपेन्द्र सिंह	श्री चंद्र सिंह	ग्राम–कर्मी पोस्ट– कर्मी बागेश्वर	पुरूष योग अनुदेशक	कर्मी
5	अनिल कुमार	श्री बलवन्त राम	ग्राम–मेहरखाली, पोस्ट–मलसूना , बागेश्वर	पुरूष योग अनुदेशक	सनगाड़
6	कान्ति	श्री प्रताप सिंह	भागीरथी बाई पास मंडलसेरा , बागेश्वर	महिला योग अनुदेशक	नामतीचेटाबगड़
7	दीपक कुमार	श्री सुन्दर राम	ग्राम–कभारा, पोस्ट–धपोलासेरा, बागेश्वर	पुरूष योग अनुदेशक	कन्यालीकोट

1. उक्त चयनित योग अनुदेशकों को तैनाती हेतु प्रत्येक दशा में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय बागेश्वर में दिनांक 25.11.2024 तक योगदान सूचना प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित तिथि तक योगदान प्रस्तुत न करने की दशा में तैनाती स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. यह तैनाती पूर्णतः अस्थायी एवं दैनिक पारिश्रमिक आधारित है तथा बिना किसी नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है एवं इस तैनाती के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
3. योग अनुदेशक का चयन दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर होने के कारण किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
4. **योगदान हेतु उपस्थित होने के समय संलग्न अनुबन्ध/शपथ पत्र (100रू0 के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी सहित) भरना अनिवार्य होगा।**
5. दैनिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
6. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
7. कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त तैनाती समाप्त की जा सकती है।
8. योग अनुदेशकों को उनके दैनिक मूल्यांकन के आधार पर दैनिक पारिश्रमिक का निर्धारण रू0 250.00 प्रति योग सत्र (प्रति दिवस 1 घंटे का योग सत्र) के आधार पर किया जायेगा जिसका भुगतान सी0एच0ओ0/चिकित्सालय प्रभारी की संस्तुति पर मासिक आधार पर किया जायेगा जो कि पुरूष योग अनुदेशक हेतु अधिकतम रू0 8000.00 एवं महिला योग अनुदेशक हेतु अधिकतम रू0 5000.00 रहेगा।

9. पुरूष योग अनुदेशक को प्रतिमाह सी0एच0ओ0/चिकित्सालय प्रभारी द्वारा निर्धारित 1 घंटे के 32 योग सत्र संचालित करना होगा (20 घंटे एच0डब्ल्यू0सी0 में तथा 12 घंटे ग्रामों में) एवं प्रत्येक माह 2 घंटे ग्रामों में जाकर प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य करने होंगे तथा आशा /ए0एन0एम0 का योग सम्बन्धी क्षमता का निर्माण में सहयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामों में लगाये जाने वाले जागरूकता शिविरों में सी0एच0ओ0/चिकित्सालय प्रभारी व आशा/ए0एन0एम0 को सहायता प्रदान करना होगा।

10. पुरूष योग अनुदेशक को सी0एच0ओ0/चिकित्सालय प्रभारी द्वारा प्रेषित किये जाने वाली सूचनाएं(ऑनलाईन व ऑफलाईन) निर्मित किये जाने में सहयोग प्रदान करना अनिवार्य होगा।

11. महिला योग अनुदेशक को प्रतिमाह सी0एच0ओ0/चिकित्सालय प्रभारी द्वारा निर्धारित एक घंटे के 20 योग सत्र संचालित करना होगा तथा जनमानस में योग सम्बन्धी जागरूकता प्रदान करने हेतु पुरूष योग अनुदेशक की सहायता प्रदान करना होगा।

12. योगदान के समय चयनित अभ्यर्थियों को निम्न प्रमाण पत्र जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
    - मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
    - दो राजपत्रित अधिकारी जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
    - शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
    - आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
    - पैनकार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
    - स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
    - पासपोर्ट साइज की दो रंगीन फोटोग्राफ।
    - बैंक पासबुक की छायाप्रति।

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
3. जिला विकास अधिकारी महोदया, बागेश्वर।
4. प्रभारी जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) बागेश्वर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस आदेश को जनपदीय वैबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. डॉ0 संजय कुमार आगरी (नोडल अधिकारी ए0एच0डब्ल्यू0सी0 जनपद बागेश्वर)।
6. सम्बन्धित सी0एच0ओ0/चिकित्सालय प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित चयनित योग अनुदेशक पुरुष/महिला अभ्यर्थी की सूची को चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
7. उक्तानुसार सम्बन्धित योग अनुदेशक पुरुष/महिला अभ्यर्थी।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।
9. गार्ड फाईल योग अनुदेशक/कार्यालय प्रति।

Nitha

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
बागेश्वर।